

बिहार सरकार
कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-12/2015-

15 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक-09-05-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, नालंदा/ भभुआ/ सारण/ मुजफ्फरपुर/अररिया/गोपालगंज/मधुबनी।

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021140001 में कुल ₹70,00,00,000 (सत्तर करोड़ रुपये) का उप आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृषि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-मो०-20/15 (सांख्यिकी)-21.68. दिनांक-09.05.15 द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के पत्रांक-1/प्रा०आ०-0-3-23/15-21 (सा० अनु०)/आ०प्र० दिनांक-07.05.2015 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजटशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्रकोड-N2245021140001 में उपलब्ध कराए गये ₹70,00,00,000 (सत्तर करोड़ रुपये) मात्र को नालंदा/ भभुआ/सारण/मुजफ्फरपुर/अररिया/ गोपालगंज/मधुबनी जिलों को कर्णांकित किया गया है। जिला वार कर्णांकित राशि को व्यय हेतु निम्न प्रकार उप-आवंटित किया जाता है:-

क्रम सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पूर्व में विभागीय पत्रांक-07 (आवंटन) 27.04.2015 द्वारा उप आवंटित राशि (रु० में)	पूर्व में विभागीय पत्रांक-08 (आवंटन) दिनांक-01.05.2015 द्वारा उप-आवंटित राशि (रु० में)	पूर्व में विभागीय पत्रांक-10 (आवंटन) दिनांक-07.05.2015 द्वारा उप आवंटित राशि (रु० में)	पूर्व में विभागीय पत्रांक-13 (आवंटन) दिनांक-08.05.2015 द्वारा उप आवंटित राशि (रु० में)	वर्तमान उप आवंटित राशि (रु० में)	कुल उप आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नालंदा	जिला पदाधिकारी, नालंदा	12,95,85,000	11,00,00,000	-	-	10,00,00,000	33,95,85,000
2	भभुआ	जिला पदाधिकारी, भभुआ	1,17,02,000	-	3,43,35,000	-	10,00,00,000	14,60,37,000
3	सारण	जिला पदाधिकारी, सारण	72,12,000	2,00,00,000	-	10,00,00,000	10,00,00,000	22,72,12,000
4	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	25,59,10,000	15,00,00,000	-	10,00,00,000	10,00,00,000	60,59,10,000
5	अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया	10,50,67,000	-	-	-	10,00,00,000	20,50,67,000
6	गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	-	-	4,49,26,000	-	10,00,00,000	14,49,26,000
7	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	23,15,22,000	10,00,00,000	-	-	10,00,00,000	43,15,22,000
योग-			74,09,98,000	38,00,00,000	7,92,61,000	20,00,00,000	70,00,00,000	2,10,02,59,000
कुल वर्तमान उप आवंटित राशि का योग- (सत्तर करोड़ रुपये) मात्र।								

2. उपरोक्त ₹70,00,00,000 (सत्तर करोड़ रुपये) मात्र का व्यय गैर योजना मुख्य बजटशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मांग संख्या-39 विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा विपत्रकोड-N2245021140001 के अंतर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापक-ब-17/आपदा- बी० सी० एफ०-67/2015 दिनांक-26.04.2015 तथा

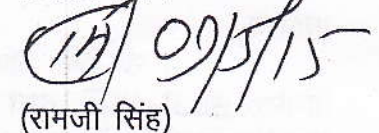
आपदा प्रबंधन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-45/आ०प्र० दिनांक-26.04.2015 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

3. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में राशि आवंटित है।

4. विभागीय कार्यालयादेश संख्या-2168 दिनांक-09.05.15 एवं आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के पत्रांक:-1/प्रा०आ०-0-3-23/15-21 (सा० अनु०)/आ०प्र० दिनांक-07.05.2015 में उल्लेखित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

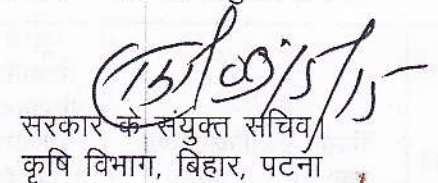
/क०, पटना, दिनांक-09.05.2015

ज्ञापांक-

15(आवंटन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/क०, पटना, दिनांक-09.05.2015

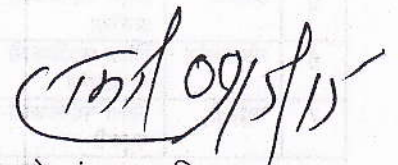
ज्ञापांक-

15(आवंटन)

प्रतिलिपि : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) /सभी जिला कृषि पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार, पटना

